फर्द अहकाम

मोती बनाम छोटा

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या – दावा / [redacted] / [redacted]

2012

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	03/03/12	पत्रावली वकील वादी / वादी द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश करने पर पेश हुई। वादी / वकील वादी ने शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर सरवारा कार्यवाही की आपसी सहमति होने के कारण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इस कारण से प्रकरण को चलाने का महत्व नहीं होने से वाद शीघ्र सुनवाई होना चाहते हैं प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई के साथ प्रार्थना पत्र वाद बिन्दु नियत किया तथा निपटान किया कि वादी / प्रतिवादीगण तहसीलदार जयपुर के यहाँ आपसी सहमति के आधार पर सरवारा चाहते हैं तथा वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा वाद बिन्दु प्रार्थना पत्र व शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इसने वादी / वकील वादी द्वारा पेश शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र / वाद बिन्दु प्रार्थना पत्र व आपसी समझौता स्वीकार किया जाता है वकील वादी / वादी का वाद बिन्दु प्रार्थना पत्र व शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] वकील वादी / वादी का वाद [illegible] आपसी [illegible] किया [illegible] आदेश की प्रति न्यायालय से प्राप्त करे / वादी की पहचान वकील वादी ने की।

अपर [illegible] (आर.ए.एस.)
जयपुर [illegible] कलक्टर
[illegible] प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:27:30 IST
Reason: SelfAttested